



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-03082021-228693
CG-DL-W-03082021-228693

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13]	नई दिल्ली, जुलाई 25— जुलाई 31, 2021, शनिवार/ श्रावण 3 — श्रावण 9, 1943
No. 13]	NEW DELHI, JULY 25— JULY 31, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 3 — SRAVANA 9, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.नि.आ.27.—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहाजयदक्यों, परिसुविदाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्राधिकृत किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय अधिसूचित करता है कि नीचे दिए गए प्रयोजनों के लिए 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लाभार्थियों (यूज़ केस) का प्रमाणीकरण' के लिए केंद्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (सीओ ईसीएचएस) को, स्वैच्छिक आधार पर, आधार प्रमाणीकरण निष्पादन हेतु अनुज्ञा प्रदान करता है:

(i) ईसीएचएस सदस्यता प्रदान करना।

- (ii) ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना।
- (iii) सेवा अस्पतालों में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना।
- (iv) ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना।
- (v) ईसीएचएस लाभार्थियों से संबंधित विभिन्न अन्य कार्य जैसे दावों का प्रसंस्करण आदि।

केंद्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (सीओईसीएचएस) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

[फा. सं.18(122)/2020- रक्षा(डब्ल्यू ई/रेस-1)]

डॉ. पुडी हरी प्रसाद, संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th June, 2021

S.R.O. 27.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Defence, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that Central Organisation Ex-servicemen Contributory Health Scheme (CO ECHS) is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for 'the authentication of ECHS beneficiaries(use case) ' for the purposes given below:-

- (i) Grant of ECHS membership.
- (ii) Availing of ECHS facilities at ECHS Polyclinics.
- (iii) Availing of ECHS facilities at Service Hospitals.
- (iv) Availing of ECHS facilities at ECHS Empanelled Hospitals.
- (v) Various other functions such as processing of claims and so on, related to ECHS beneficiaries.

The Central Organisation Ex-servicemen Contributory Health Scheme (CO ECHS) shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government.

[F.No. 18(122)/2020-D (WE/Res-I)]

Dr. PUDI HARI PRASAD, Jt. Secy. (ESW)